

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

लत उपखण्ड अधिनायी मुकाम बीवास  
सौतरण बनाम जोगली कांड  
राजस्व वाद मुकदमा नं. 32 सन् 2024

ब्र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>24</p> <p>16/8/24</p> <p>30/8/24</p>	<p>वकील वादी द्वारा प्रस्तुत निवेदन/दस्तावेज को अवलोकन किया गया/ वादा पूर्व रजिस्ट्रारों प्रतिवादीगण को जरिफे रजिस्टर्ड डाक से वकील वादी अपने स्वयं पर तख्त करावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16/08/24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><del>अभिभाषक मय कार्य स्थानित कर रखा गया, जो शान्त अन्य कार्य व्यस्त है। पत्रावली जारी दिनांक 30/8/24 पेश हो।</del></p> <p>पत्रावली आमतौर वकील वादी पर पेश होने पर वकील वादी वकील वादी द्वारा एक प्रतिवादी पत्र लेखत द्वारा विद्वान को पेश किया। जिस पर वकील वादी को खुतागमा कर दखलनाई वकील वादी को अपना वाद विद्वान को की अनुमति दी जाती है। वकील वादी को नया वाद जज के अधिका को प्रामाणिकता पूर्व वाद स्वीकार पर खोला जाता है। पत्रावली, नोटिस को जज को 2 नोंदिल जाता है।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>उपखण्ड अधिनायी बीवास (पूर)</p>	